

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 888 सन 2020

अनवान :-

1. इन्द्राज पुत्र लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
2. चेताराम पुत्र लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. हेतराम पुत्र लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. कलावती पुत्री लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
2. तीजा पुत्री लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पेश कर रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 313/282 की कुल 5.1090हैक् भूमि का अनुतोष विद्वा कर रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/54 की कुल 2.4670हैक् व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 239/213 की कुल 5.0780हैक् भूमि जिसके लेखुराम वल्द रावताराम खातेदार काश्तकार थे का अनुतोष चाहा गया।


उक्त वाद भूमि लेखुराम वल्द रावताराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेखुराम वल्द रावताराम का देहान्त हो चुका है एवं लेखराम की पत्नी उमीदेवी का भी देहान्त हो चुका है लेखुराम वल्द रावताराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो लेखुराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं मृतक लेखराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक लेखराम वल्द रामकरण जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता लेखराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है लेखराम वल्द रावताराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 है जो लेखराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/54 की कुल 2.4670 हैक् व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 239/213 की कुल 5.0780 हैक् भूमि जिसके लेखुराम वल्द रावताराम खातेदार काश्तकार थे का अनुतोष चाहा गया।

उक्त वाद भूमि लेखुराम वल्द रावताराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेखुराम वल्द रावताराम का देहान्त हो चुका है एवं लेखुराम की पत्नी उमीदेवी का भी देहान्त हो चुका है लेखुराम वल्द रावताराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 है जो लेखुराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं मृतक लेखुराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1, 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है शेष वाद भूमि यथावत रखी जावे जिसका अनुतोष विद्वा किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/54 की कुल 2.4670 हैक् व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 239/213 की कुल 5.0780 हैक् भूमि जिसके लेखुराम वल्द रावताराम खातेदार काश्तकार थे

वादी का कथन है कि लेखुराम वल्द रावताराम जो वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 है जो लेखुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि जो लेखुराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है लेखुराम के देहान्त होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है वादी ने अपने


कथनों के समर्थन में लेखराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पूर्ण होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/54 की कुल 2.4670 हैक् लेखराम के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 239/213 की कुल 5.0780 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1.1529 हैक्, वादी संख्या 2 अकेला 1.9625 हैक् वादी संख्या 3 अकेला 1.9625 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जास्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. इन्द्राज पुत्र लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
2. चेताराम पुत्र लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. हेतराम पुत्र लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

- 1 कलावती पुत्री लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
- 2 तीजा पुत्री लेखराम जाति मेधवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 888 सन 2020 निर्णय दिनांक- 14/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/54 की कुल 2.4670हैक लेखराम के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 239/213 की कुल 5.0780हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लेखराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1.1529हैक , वादी संख्या 2 अकेला 1.9625हैक वादी संख्या 3 अकेला 1.9625 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)